भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3635

जिसका उत्तर 02.04.2025 को दिया जाना है

2047 तक "विकसित भारत"

3635 श्रीमती संगीता यादव:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नौ प्रमुख प्राथमिकताओं, जिनका उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए प्रचुर अवसर पैदा करना है, पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय बजट 2024-25 में उल्लिखित "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक कार्यनीति तैयार की गई है तथा उसमें अवसंरचना भी शामिल है;

(ख) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2047 तक "विकसित भारत" के लक्ष्य को साकार करने के लिए क्या योजनाएं, रूपरेखा या कार्ययोजना तैयार की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मंत्रालय "विकसित भारत" के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अन्य मंत्रालयों/नीति आयोग के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) अवसंरचना क्षेत्र अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक है और यह तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। वर्ष 2025-26 के बजट में त्वरित वृद्धि, समावेशी विकास और मजबूत अवसंरचना के विकास के लिए निजी क्षेत्र के निवेश को सबल बनाने और "विकसित भारत" को साकार करने के लिए निरंतर सरकारी प्रयास पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तदनुसार, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश की रसद (लॉजिस्टिक्स) दक्षता में सुधार के लिए पहुंच नियंत्रित राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) /एक्सप्रेसवे के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है, इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के परामर्श से प्रमुख शहरों/शहरी केंद्रों और राज्य की राजधानियों में रिंग रोड, बाईपास और एलिवेटेड कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर यातायात को सुगम बनाया जा सके और जाम/भीड़भाड़ वाले स्थानों को कम किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने यातायात की आवश्यकता, परन्तु न्यूनतम दो लेन पेव्ड शोल्डर के मानकों के अनुसार सभी राष्ट्रीय राजमार्गों में सुधार करने की नीति भी अपनाई है, लेकिन पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र को छोड़कर, जहां भूवैज्ञानिक, पर्यावरणीय कारकों आदि पर विचार करते हुए विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाता है।

(ग) और (घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय परियोजना मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण में नीति आयोग और अन्य मंत्रालयों सहित सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग करता है। इसके अतिरिक्त, 500 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली सभी परियोजनाओं पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) चरण में ही नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप (एनपीजी) के माध्यम से परामर्श किया जाता है, जिसमें विभिन्न अवसंरचना और उपयोगकर्ता विभागों और नीति आयोग का प्रतिनिधित्व होता है।

*****